न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।
(पीठासीन अधिकारी – श्री राजेन्द्र सिंह चारण, आर.ए.एस.)

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 148/2021 (जीसीएमएस संख्या : 2021/157)
सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. ललित किशोर पुत्र श्री पूरणप्रकाश उर्फ रामगोपाल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–सिरसी, तहसील–जयपुर।
2. कैलाशचन्द पुत्र श्री पूरणप्रकाश उर्फ रामगोपाल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–सिरसी, तहसील–जयपुर।
3. दिनेश कुमार पुत्र श्री पूरणप्रकाश उर्फ रामगोपाल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–सिरसी, तहसील–जयपुर।
4. छीतरमल पुत्र श्री मंगला, जाति–ब्राह्मण, निवासी–सिरसी, तहसील–जयपुर। (मृतक)
   - 4/1 शांति देवी पत्नी स्व0 श्री छीतरमल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–महर्षि आश्रम, ग्राम–सिरसी, तहसील–जयपुर।
   - 4/2 राजकुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री छीतरमल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–महर्षि आश्रम, ग्राम–सिरसी, तहसील–जयपुर।
   - 4/3 सुनील कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री छीतरमल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–महर्षि आश्रम, ग्राम–सिरसी, तहसील–जयपुर।
   - 4/4 दीपक कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री छीतरमल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–महर्षि आश्रम, ग्राम–सिरसी, तहसील–जयपुर।
   - 4/5 ज्योति प्रकाश शर्मा पुत्र स्व0 श्री छीतरमल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–महर्षि आश्रम, ग्राम–सिरसी, तहसील–जयपुर।
   - 4/6 मुरली मनोहर शर्मा पुत्र स्व0 श्री छीतरमल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–महर्षि आश्रम, ग्राम–सिरसी, तहसील–जयपुर।
5. गीतादेवी पत्नी स्व0 श्री कन्हैयालाल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–सिरसी, तहसील–जयपुर।
6. राहुल पुत्र स्व0 श्री कन्हैयालाल नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता गीतादेवी, जाति–ब्राह्मण, निवासी–सिरसी, तहसील–जयपुर।
7. पंकज पुत्र स्व0 श्री कन्हैयालाल नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता गीतादेवी, जाति–ब्राह्मण, निवासी–सिरसी, तहसील–जयपुर।
8. मनीषा पुत्री स्व0 श्री कन्हैयालाल नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता गीतादेवी, जाति–ब्राह्मण, निवासी–सिरसी, तहसील–जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थिति :–

1. श्री प्रहलाद रावत, राजकीय अभिभाषक।
2. श्री बनवारी लाल शर्मा, अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3, 4/3, 4/5, 5 लगायत 8 की ओर से।

<u>निर्णय</u> **दिनांक : 25.05.2022**

तहसीलदार, जयपुर द्वारा यह निवेदन किया गया है कि ग्राम–सिरसी के आराजी खसरा नंबर 156 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा, आ0ख0नं0 157 रकबा 16 बिस्वा,

अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

आ0ख0नं0 158 रकबा 18 बिस्वा, आ0ख0नं0 160 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, आ0ख0नं0 161 रकबा 03 बिस्वा, आ0ख0नं0 162 रकबा 04 बिस्वा, आ0ख0नं0 162/2161 रकबा 05 बिस्वा कुल किता 7 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा राजस्व रिकार्ड खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2024 में माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी पुजारी छोटीलाल नानूलाल पि0 गंगाबक्स जाति–ब्राह्मण के नाम से कॉलम संख्या 4 नाम उपभौक्ता पिता का नाम जाति व निवास स्थान में दर्ज है तथा कॉलम संख्या 5 नाम कृषक पिता का नाम जाति व निवास स्थान श्रेणी कृषक व कृषक काल में मंगला पुत्र दूल्हा जाति ब्राह्मण गौड सा0 देह मु0 कदीम दर्ज है जो सम्वत् 2021–2024 की जमाबंदी में माफी के इन्द्राज को विलोपित कर काश्तकार मंगला पुत्र दूल्हा के नाम अंकित कर दी गई तत्पश्चात् मंगला की मृत्यु होने पर विरासत नामान्तरकरण संख्या 459 वारिसों के नाम तस्दीक किया गया है। वारिस कन्हैयालाल की मृत्यु होने पर विरासत नामान्तरकरण संख्या 1308 वारिसान के नाम तस्दीक किया गया, इसी प्रकार पूरणप्रकाश उर्फ रामगोपाल की मृत्यु होने पर नामान्तरकरण संख्या 1442 वारिसान के नाम तस्दीक किया गया। जिसके फलस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2056–2059 में अमल–दरामद हुआ। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी बिना किसी सक्षम आदेश के मन्दिर की भूमि हस्तान्तरित की गई है। कानूनन माफी मन्दिर/देवमूर्ति को शाश्वत अवयस्क माना गया है। अतः मूर्ति के नाम अंकित भूमि किसी दीगर के नाम होना गलत है। बिना किसी सक्षम आदेशों के मंदिर की आराजी हस्तान्तरित नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी का राजस्व रिकार्ड से अप्रार्थीगण का नाम विलोपित करके मन्दिर श्री रघुनाथ जी के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र मय स्थगन प्रार्थना–पत्र तहसीलदार, जयपुर द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर में प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया और आज्ञा दिनांक 30.04.2005 द्वारा प्रकरण अधीन आराजी की जमाबन्दी में भूमि माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी की होने से रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है, इस आशय का नोट अंकित किया जाकर भूमि के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखी जाने के आदेश तहसीलदार, जयपुर को दिये गऐ। श्रवण क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप अग्रिम विचारण एवं निस्तारण हेतु प्राप्त होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गऐ। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3, 4/3, 4/5, 5 लगायत 8 जरिये अभिभाषक हाजिर आये और जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल है। बकिया अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री प्रहलाद रावत ने रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2024 के कॉलम सं0 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में माफी शामलात किशोर जी, कॉलम संख्या 4 नाम उपभोक्ता पिता का नाम जाति व निवास स्थान में माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी पुजारी छोटीलाल नानूलाल पि0 गंगाबक्स जाति ब्राह्मण व कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में मंगला पुत्र दूल्हा जाति ब्राह्मण गौड सा0 देह मु0 कदीम खातेदार दर्ज है। जो सम्वत् 2021–2024 की जमाबंदी में माफी के इन्द्राज को विलोपित कर काश्तकार मंगला पुत्र दूल्हा के नाम अंकित कर दी गई तत्पश्चात् मंगला की मृत्यु होने पर विरासत नामान्तरकरण संख्या 459 वारिसों के नाम तस्दीक किया गया है। वारिस कन्हैयालाल की मृत्यु होने पर विरासत नामान्तरकरण संख्या 1308 वारिसान के नाम तस्दीक किया गया, इसी प्रकार पूरणप्रकाश उर्फ रामगोपाल की मृत्यु होने पर नामान्तरकरण संख्या 1442 वारिसान के नाम तस्दीक किया गया। जिसके फलस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2056–2059 में अमल–दरामद हुआ। वादग्रस्त भूमि वास्तविक रूप से माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी की है। माफी मन्दिर/देवमूर्ति की स्थिति शाश्वत नाबालिग है और नाबालिग के हितो का इस प्रकार अन्तरण किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानो के विपरीत हैं। नाबालिग मूर्ति की खातेदारी आराजी पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते हैं। विचारण प्रकरण में नियमों के प्रावधानों के विपरीत राजस्व अभिलेखों में निजी खातेदारी दर्ज की है। माफी मन्दिर/देवमूर्ति की भूमि पर किसी व्यक्ति को कोई अधिकार उत्पन्न नही हो सकते है नाम भोक्ता के कालॅम मे दर्ज माफी शामलात किशोर जी व नाम उपभोक्ता के कॉलम में माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी पुजारी छोटीलाल नानूलाल पि0 गंगाबक्स जाति ब्राह्मण का नाम हजफ कर नाम कृषक के कॉलम में दर्ज कृषक मंगला पुत्र दूल्हा के नाम खातेदारी तत्पश्चात् वारिसान् के नाम खातेदारी दर्ज की गई है जो अवैध होने से निरस्तनीय है। राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 का प्रभाव 18.02.1952 को तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दिनांक 23.03.1955 को प्रभावशील हुआ है। वादग्रस्त आराजी नाबालिग श्री रघुनाथ जी के द्वारा धारण की गई आराजी है। नाबालिग के द्वारा अपनी खेती को चाहे जिस प्रकार के श्रम का उपयोग करते हुए खेती करवायी गई हो उसके व्यक्तिगत स्वयं के निगरानी मे खेती किये जाने के समान ही समझी जावेगी। राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 2 (I) में स्पष्ट प्रावधान है कि खुदकाश्त भूमि वह भूमि है जिसे व्यक्तिगत स्वयं के

कार्यालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

द्वारा खेती की गई हो। धारा 2 (K) तथा धारा 2 (I) के साथ–साथ पढने से स्पष्ट है कि श्री रघुनाथ जी एक शाश्वत नाबालिग देवमूर्ति के द्वारा धारण की गई कृषि भूमि खुदकाश्त की कृषि भूमि है और इस अधिनियम के प्रभाव के आने के दिन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने वाले योग्य अधिकारिक व्यक्ति होते है लेकिन राजस्व कर्मियों के द्वारा अवैध रूप से मन्दिर की आराजी को काश्त करने वाले काश्तकारों के नाम राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज कर दी गई तत्पश्चात् विरासत के रूप में वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गई जो अवैध होने से निरस्तनीय है। दिनांक 01.07.1963 को जागीर खालसा हुई है और मन्दिर श्री रघुनाथ जी के नाम खातेदारी दर्ज किया जाना आवश्यक था परन्तु अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज की गई है, जो कि अवैध होने से निरस्तनीय है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए नियमों में निर्धारित प्रक्रिया है परन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया को बगैर अपनाये अप्रार्थीगण के नाम नामान्तरकरणों के जरिये दर्ज कर दिये गये जो अवैध होने से निरस्तनीय है। नाबालिग की आराजी पर काश्त किये जाने से किसी अन्य को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2015 में स्पष्ट अभिमत दिया गया है कि माफी मन्दिर की भूमि राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रभाव में आने के बाद राज्य सरकार में निहित होगी। अतः वादग्रस्त आराजी राज्य सरकार में निहित होनी है ऐसी स्थिति में समस्त हस्तान्तरण एवं विरासत द्वारा अन्तरणों के इन्द्राजों को निरस्त कर भूमि को पुनः मन्दिर श्री रघुनाथ जी में निहित किया जाना नितान्त आवश्यक है। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नही है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वापिस मन्दिर श्री रघुनाथ जी के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3, 4/3, 4/5, 5 लगायत 8 के विद्वान अभिभाषक श्री बनवारी लाल शर्मा का कथन है कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को मात्र हैरान व परेशान करने की गरज से प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार, जयपुर द्वारा वादग्रस्त आराजी को सम्वत् 2015–2024 में मंदिर श्री रघुनाथ जी पुजारी छोटीलाल नानूलाल की खातेदारी में होना बताया है यह तथ्य गलत है। वास्तविकता यह है कि वादग्रस्त आराजी खतोनी बंदोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2024 के कॉलम सं0 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में माफी शामलात–किशोर जी कॉलम संख्या 4 नाम उपभोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी पुजारी छोटीलाल नानूलाल पि0 गंगाबक्स जाति–ब्राह्मण सा0

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

देह व कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में मंगला पुत्र दूल्हा जाति ब्राह्मण सा0देह मु0कदीम दर्ज है। तहसीलदार, जयपुर ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र राजस्थान राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया है इसलिये सर्वप्रथम धारा 82 के प्रावधानों पर विचार करना आवश्यक है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 इस प्रकार है:-

Section 82 Rajasthan Land Revenue Act, 1956

Section 82 reads as under:

Power [xxx] to call for records and proceedings and reference to State Government or Board – [xxx] **The Settlement Commissioner** or **the Director of Land Records** [or a **Collector**] may call for and examine the record of any case decided or proceedings held by any revenue court or officer subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or properiety of the order passed and as to the regularity of proceedings;

and, if he is of opinion that the proceedings taken or order passed by such subordinate court or officer should be varied cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board, if the case is of a judicial nature or connected with settlement, or for the orders of the State Government if the case is of a non-judicial nature not connected with Settlement;

and the Board or the State Government, as the case may be, shall thereupon pass such order as it thinks fit.

उपरोक्त प्रावधान के पठन से यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम में तीन भिन्न-भिन्न अधिकारियों को उक्त प्रावधान के अन्तर्गत रेफरेन्स की जांच करने के अधिकार प्रदत्त किये गये हैं

1. **The Settlement Commissioner**
2. **The Director of Land Records**
3. **A Collector**

और तीनों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने अपने अधीनस्थ न्यायालय अथवा अधिकारियों द्वारा पारित आदेश या की गई कार्यवाहियों की जांच कर रेफरेन्स प्रस्तुत कर सकते हैं।

जहां तक अधीनस्थ न्यायालय अथवा अधिकारियों का प्रश्न है राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 24 में Subordination of Revenue Courts and Officers की सूचि दी गई है:-

Section 24 reads as under:

Subordination of Revenue Courts and Officers – Subject to the provisions of Sections 9 & 23 –

i. all addl. Commissioners, Collectors, Addl. Collectors, Sub-Divisional Officers, Asstt. Collectors, Tehsildars, Addl. Tehsildars and Naib-Tehsildars in a division shall be subordinate to the Commissioner of such division;

ii. all addl. Collectors, Sub-Divisional Officers, Asstt. Collectors, Tehsildars, Addl. Tehsildars and Naib-Tehsildars in a district shall be subordinate to the Collector of such district;

iii. all Tehsildars, Addl. Tehsildars and Naib-Tehsildars in a sub-division shall be subordinate to the Sub-Divisional Officer of such sub-division;

iv. all Addl. Tehsildars and Naib-Tehsildars in a Tehsil shall be subordinate to the Tehsildar of such Tehsil;

v. all Additional Settlement Commissioners, Collectors, Additional Collectors, Settlement Officers, Tehsildars, Additional Tehsildars and Naib-Tehsildars shallbe subordinate to the Settlement Commissioner;

vi. all Tehsildars, Additional Tehsildars and Naib-Tehsildars in a Tehsil shall be subordinate to the Settlement Officer exercising jurisdiction in such Tehsil;

vii. all Additional and Assistant Directors of Land Records Collectors, Additional Collectors, Land Records Officers, Tehsildars, Additional Tehsildars and NaibTehsildars shall be subordinate to the Director of Land Records;

viii. all Tehsildars, Additional Tehsildars and Naib-Tehsildars in a Tehsil shall be subordinate to the Land Records Officer exercising jurisdiction in such Tehsil; and

ix. all Officers specially appointed for any Local area under Chapter VII shall subordinate to the Land Records Officer, or under Chapter VIII to the Settlement Officer, for such area.

तहसीलदार, जयपुर द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष जो रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है उसमें राजस्व भू–अभिलेखों में हो रहे इन्द्राजात को अवैध होना अंकित करते हुए रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है और सहायक भू–अभिलेख अधिकारी जिला कलक्टर के अधीनस्थ न्यायालय या अधिकारी नहीं होते और इसलिये माननीय न्यायालय जिला कलक्टर (अतिरिक्त जिला कलक्टर) को प्रस्तुत रेफरेन्स की सुनवाई करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। 1980 RRD 62, 1978 RRD 320, 1977 RRD 277, 2010(1) RRT 562 में यह ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है इसलिये प्रस्तुत रेफरेन्स निरस्त किये जाने योग्य है। इस स्थिति के पश्चात भी यदि माननीय न्यायालय रेफरेन्स की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र होना माने तो भी धारा 82 की भाषा पर विचार करना आवश्यक है may call for and examine the record of any case decided or proceedings held by any revenue court or officer...........the proceedings taken or order passed by such subordinate court or officer should be varied cancelled or reversed,

इस विषय पर विचार करने के लिये यह आवश्यक है कि राजस्थान राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार, जयपुर ने जो रेफरेन्स प्रस्तुत किया है उसमें वर्णित तथ्यों पर विचार किया जावे। तहसीलदार, जयपुर ने यह अंकित किया है कि संवत् 2015 से 2024 की खतौनी में वादग्रस्त आराजी कॉलम सं0 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में माफी शामलात किशोर जी कॉलम संख्या 4 नाम

उपभोक्ता पिता का नाम जाति व निवास स्थान में माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी पुजारी छोटीलाल नानूलाल पि0 गंगाबक्स जाति ब्राह्मण व कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में मंगला पुत्र दूल्हा जाति ब्राह्मण गौड सा0 देह मु0 कदीम खातेदार दर्ज है। जो सम्वत् 2021–2024 की जमाबंदी में माफी के इन्द्राज को विलोपित कर काश्तकार मंगला पुत्र दूल्हा के नाम अंकित कर दी गई। खतौनी बंदोबस्त संवत् 2015–24 व जमाबंदी सम्वत् 2021–24 को संयुक्त रूप से देखे जाने से यह संदेह से बाहर स्पष्ट होता है कि खतौनी के कॉलम संख्या 5 व 4 जो कृषक/काश्तकार का कॉलम है में कृषक के रूप में तत्समय भी मंगला पुत्र दूल्हा जाति ब्राह्मण सा0देह मु0 कदीम दर्ज था । इस प्रकार जहां तक कृषक के कॉलम का प्रश्न है किसी भी प्रकार का कोई इन्द्राज परिवर्तन नहीं किया गया। जो परिवर्तन किया गया वह नाम भोक्ता व नाम उपभोक्ता के कॉलम में है जहां माफी शामलात किशोर जी व माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी पुजारी छोटीलाल नानूलाल पि0 गंगाबक्स जाति ब्राह्मण के स्थान पर राजस्थान राज्य सरकार का नाम दर्ज किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि मंगला पुत्र दूल्हा जाति ब्राह्मण सा0 देह मु0 कदीम का नाम अवैध रूप से परिवर्तित कर दिये जाने का कथन पूर्णतः गलत व निराधार है और ऐसे किसी आधार पर रेफरेन्स किये जाने का कोई आधार नहीं है। चूंकि खतौनी बंदोबस्त के कॉलम संख्या 4 नाम उपभोक्ता में माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी पुजारी छोटीलाल नानूलाल पि0 गंगाबक्स का नाम दर्ज है इसलिये उक्त इन्द्राजात से संबंधित तथ्यों की जांच किये जाने से पूर्व उक्त संदर्भ में विधि के प्रावधानों को देखा जाना आवश्यक है। राजस्थान राज्य के गठन के पश्चात् इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार उक्त भूमि पर कृषि कार्य करने वाले व्यक्ति को ही प्रदान किये जावें और इन्टरमिजरी को समाप्त कर दिया जाये। इस कार्य को विधिक रूप प्रदान किये जाने के क्रम में तीन अधिनियम बनाये गये। वर्ष 1952 में Rajasthan (Land Reforms and Resumption of Jagirs) Act, 1952 बनाया गया, वर्ष 1955 में Rajasthan Tenency Act, 1955 तथा 1959 में Rajasthan (Zamindari and Biswedari Abolition) Act, 1959 प्रभाव में आये।

Rajasthan (Land Reforms and Resumption of Jagirs) Act, 1952 की धारा 2 (h) में शब्द Jagir Land को निम्नानुसार परिभाषित किया गयाः–

'Jagir land' means any land in which or in relation to which a Jagirdar has rights in respect of land revenue or any other kind of revenue and includes any land held on any of the tenures specified in the First Schedule;

(मुहर) जयपुर

प्रथम परिशिष्ट के आईटम नम्बर 15 में शब्द माफी अंकित है जिससे यह स्पष्ट होता है कि माफी भी जागीर की ही एक किस्म है। 1952 के इस अधिनियम में माफी की जागीर के लिये कोई पृथक प्रावधान बनाये हुये नहीं है और जैसे अन्य जागीर से संबंधित प्रावधान बनाये गये वे ही प्रावधान माफी की जागीर पर यथावत लागू होते है।

Rajasthan (Land Reforms and Resumption of Jagirs) Act, 1952 की धारा 21 में जागीर के पुनर्ग्रहण के संबंध में अधिसूचना जारी होने के प्रावधान है और ऐसी अधिसूचना जारी होते ही धारा 22 के प्रावधानों के अनुसार जागीरदार के सभी अधिकार, स्वामित्व व हित तथा ऐसे जागीरदार के अधीन अधिकार क्लेम करने वाले सभी व्यक्तियों के अधिकार समाप्त होकर उक्त जागीर के सभी स्वामित्व संबंधी अधिकार राजस्थान राज्य सरकार में निहित हो जाते हैं। इस प्रकार धारा 22 के अनुसार जहां तक जागीरदार के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का संबंध है वे तो प्रत्येक अवस्था में राजस्थान सरकार में निहित हो जाते हैं और यदि जागीरदार की कोई निजी सम्पत्ति है तो वे निजी सम्पत्तियों ही धारा 23 के अन्तर्गत जागीरदार के पास उसके स्वामित्व में रहती है। जहां तक कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकारों का प्रश्न है, उससे सम्बन्धित प्रावधान उक्त अधिनियम की धारा 9 व 10 में दिये गये हैं। जागीरदार को कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार मात्र उन्हीं भूमियों पर प्राप्त होते हैं जो जागीरदार की खुदकाश्त की भूमि हों। अधिनियम की धारा 10 निम्न प्रकार है:–

10. Khatedari rights in Khudkasht land. As from the date of resumption of any jagir land, any khudkasht land of a jagirdar [x x x] shall be deemed to be held by the jagirdar [x x x] as a khatedar tenant and shall be assessed at the village rate.

जो भूमि जागीरदार की खुदकाश्त की भूमि नहीं हो उनमें जागीरदार को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते। इसके लिये उक्त अधिनियम की धारा 2 (i) में शब्द खुदकाश्त को परिभाषित किया गया है और धारा 2 (k) में Land cultivated personally को परिभाषित किया गया है दोनों प्रावधानों के संयुक्त पठन से यह संदेह से बाहर स्पष्ट होता है कि जो भूमि माफीदार की खुदकाश्त में दर्ज हों मात्र उन्हीं में जागीरदार को धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं अन्यथा नहीं। वादग्रस्त आराजी की खतौनी बन्दोबस्त में कृषक के कॉलम में काश्तकार मंगला पुत्र दूल्हा का नाम दर्ज है और खुदकाश्त दर्ज नहीं है। इसलिये माफीदार भोक्ता माफी शामलात किशोर जी व उपभोक्ता माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है अन्यथा भी प्रस्तुत प्रकरण रेफरेन्स का प्रकरण है और जब पूर्व के किसी राजस्व भू–अभिलेख में मन्दिर श्री रघुनाथ जी का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज नहीं है तब रेफरेन्स के माध्यम से नवीन इन्द्राज करने के लिये कोई आदेश पारित नहीं किये जा सकते। विचारण प्रकरण में जागीर पुनर्ग्रहण से पूर्व तथा

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय मंगला पुत्र दूल्हा का नाम कृषक के रूप में दर्ज था और किसी राजस्व भू-अभिलेख में किसी इन्द्राज को परिवर्तित कर मंगला पुत्र दूल्हा का नाम कृषक के रूप में परिवर्तित नहीं किया गया। मंगला पुत्र दूल्हा को भूमि विवादग्रस्त में वैधानिक रूप से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। जब मंगला पुत्र दूल्हा का नाम जागीर के पुनर्ग्रहण से पूर्व कृषक के रूप में दर्ज था/है तब Rajasthan (Land Reforms and Resumption of Jagirs) Act, 1952 की धारा 9 तथा Rajasthan Tenency Act, 1955 की धारा 15 के अनुसार उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है। Rajasthan (Land Reforms and Resumption of Jagirs) Act, 1952 की धारा 9 निम्न प्रकार है:-

9. Khatedari rights in jagir lands - Every tenant in a jagir land who at the commencement of this Act is entered in the revenue records as a Khatedar, pattedar, khademdar or under any other description implying that the tenant has heritable and full transferable rights in the tenancy shall continue to have such rights and shall be called a khatedar tenant in respect of such land. इस धारा 9 में जो यह राईडर दर्ज था कि कृषक को heritable and full transferable rights प्राप्त इस क्लॉज को भी मात्र तीन वर्ष की समयावधि के पश्चात् ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 में लोपित कर दिया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 निम्न प्रकार है:-

Section 15 - Khatedar tenants — (1) Subject to the provisions of section 16 and clause (d) of Sub-section (1) of section 180 every person who, at the commencement of this Act, is a tenant of land otherwise than as a sub-tenant or a tenant of Khudkasht or who is, after the commencement of this Act, admitted as a tenant otherwise than a sub-tenant or tenant of Khudkasht or an allottee of land under, and in accordance with, rules made under section 101 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956) or who acquires Khatedari rights in accordance with provisions of this Act or of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagir Act, 1952 (Rajasthan Act VI of 1952) or of any other law for the time being in force shall be a Khatedar tenant and shall, subject to the provision of this Act [xxx] be entitled to all the rights conferred; and be subject to all the liabilities imposed on Khatedar tenants by this Act:

Provided that no Khatedari rights shall accrue under this section to any tenant, to whom land is or has been let out temporarily in Gang Canal, Bhakra, Chambal or Jawai project area or any other area notified in this behalf by the State Government.

उक्त दोनों प्रावधानों के संयुक्त पठन से यह स्थिति संदेह से बाहर स्पष्ट होती है कि मंगला पुत्र दूल्हा भूमि विवादग्रस्त का खातेदार कृषक था और सही रूप से उसका नाम खातेदार कृषक के रूप में राजस्व भू-अभिलेखों में दर्ज किया गया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2000 आर.आर.डी. 14, 2000 आर.आर.डी. 109, 2000 आर.आर.डी. 189 व 2013 (1) आर.आर.टी. 420 में यह ही सिद्धान्त प्रतिपारित किया गया। हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की फुल बेंच ने **तारा बनाम राजस्थान सरकार के प्रकरण 2015 (2) आर.आर.टी. 868 के पैरा नम्बर 25 व 26 में** इस सिद्धान्त को वृहद स्तर पर निर्णित किया है। फुल बेंच के इस निर्णय के पश्चात् अब किसी प्रकार का कोई संशय शेष नहीं रहता।

धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के पठन मात्र से यह स्पष्ट होता है कि यदि किसी राजस्व भू–अभिलेख में पूर्व में कोई इन्द्राज हो और उसे अवैध रूप से परिवर्तित कर दिया गया हो और रेफरेन्स करने वाले अधिकारी इस बात से संतुष्ट हों कि ऐसे अवैध आदेश को निरस्त या समाप्त करवाना आवश्यक है तो ही अपनी अभिशंसा अंकित कर कोई रेफरेन्स किया जा सकता है प्रस्तुत प्रकरण में जब कृषक के कॉलम में पूर्व में जो इन्द्राज थे वे ही यथावत दर्ज हैं और कोई परिवर्तन किया ही नहीं गया है तो नये सिरे से खातेदार कृषक मंगला के नाम को काटकर राजस्व भू–अभिलेखों में नये सिरे से माफी मन्दिर का नाम दर्ज करने हेतु कोई रेफरेन्स किया ही नहीं जा सकता। भूमि अधिकारी के कॉलम में माफीदार भोक्ता माफी शामलात किशोर जी व उपभोक्ता माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी के स्थान पर राजस्थान राज्य सरकार का नाम अंकित किया गया है जो भी जागीर का पुनर्ग्रहण हो जाने की वजह से किये गये हैं खातेदार के कॉलम में इन्द्राज पूर्ववत कायम है इसलिये रेफरेन्स करने का कोई आधार ही नहीं है। प्रार्थी तहसीलदार, जयपुर द्वारा रेफरेन्स हेतु प्रस्तुत आवेदन में यह अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि को मन्दिर श्री रघुनाथ जी के नाम दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकृत फरमाने की कृपा करें ऐसे अनुतोष हेतु रेफरेन्स के प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सकता। खातेदार कृषक मंगला पुत्र दूल्हा का स्वर्गवास हो जाने पर विरासत का नामांतरकरण उसके कानूनी उत्तराधिकारी पूरणप्रकाश उर्फ रामगोपाल छीतरमल कन्हैयालाल के नाम तत्पश्चात् पूरणप्रकाश उर्फ रामगोपाल छीतरमल कन्हैयालाल के वारिसान के नाम तस्दीक किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है। भूमि विवादग्रस्त पूर्व में माफी में दर्ज थी और माफी का नियमानुसार पुनर्ग्रहण हो गया और पुनर्ग्रहित होने के पश्चात् भूमि अधिकारी के अधिकार राजस्थान राज्य सरकार में व्याप्त हुए और उसके आधार पर भूमि अधिकारी के कॉलम में राजस्थान राज्य सरकार का नाम अंकित किया गया। जब तहसीलदार जयपुर ने यह अंकित करते हुए ही रेफरेन्स प्रस्तुत किया है तब किसी प्रकार कोई अन्य कार्यवाही शेष ही नहीं रहती। भूमि विवादग्रस्त मूल रूप से माफी की हो सकती है परन्तु माफी एक जागीर ग्राण्ट है और मन्दिर पूजागृह होता

अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

है जिसके शाश्वत अवयस्क होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। मूर्ति श्री रघुनाथ जी महाराज शाश्वत नाबालिग की परिभाषा में आ सकते हैं परन्तु मूर्ति श्री रघुनाथ जी कभी भूमि विवादग्रस्त के खातेदार कृषक नहीं रहे और उनकी खातेदारी की भूमि किसी भी प्रकार से हस्तांतरित नहीं की गई है। माफी शामलात किशोर जी व माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी की माफी पुनर्ग्रहण की जाकर राजस्थान राज्य सरकार को भूमि अधिकारी अंकित किया गया है। भूमि विवादग्रस्त की वर्तमान भूमि अधिकारी राजस्थान राज्य सरकार है परन्तु भूमि अधिकारी की हैसियत से राजस्थान राज्य सरकार उक्त रेफरेन्स प्रस्तुत कर क्या अनुतोष चाहती है यह स्पष्ट ही नहीं किया गया है। यदि नाम भोक्ता व नाम उपभोक्ता में दर्ज नामों को अब भूमि अधिकारी का कॉलम जो राजस्थान राज्य सरकार है में माफी शामलात किशोर जी एवं मन्दिर श्री रघुनाथ जी का नाम अंकित करना चाहती है तो उत्तरदाता अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नहीं है जहां तक भूमि विवादग्रस्त के खातेदार कृषक होने का सवाल है पहले उक्त भूमि के खातेदार कृषक मंगला पुत्र दूल्हा थे जिनका देहान्त हो जाने पर विरासत के तौर पर उनके पुत्रों का नाम प्रतिस्थापित किया गया जिसके आधार पर भूमि विवादग्रस्त के खातेदार कृषक अप्रार्थीगण हुए जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है। यह विधि की सुस्थापित व्यवस्था है कि रेफरेन्स की कार्यवाही मात्र तब ही की जा सकती है जब किसी राजस्व न्यायालय अथवा अधिकारी ने किसी प्रकरण में या किसी कार्यवाही में कोई अवैध निर्णय/आदेश पारित किया हो। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार ने इस विषय पर जांच किये बिना कि किस अधीनस्थ अधिकारी ने किस प्रकरण में ऐसा क्या आदेश पारित किया जिसे अवैध होना मानते हुये उसे निरस्त करने की कोई कार्यवाही की जा सकती हो, इस प्रकार रेफरेन्स किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया वह विधि के बाध्य प्रावधानों के विपरीत होने की वजह से निरस्तनीय है। अप्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक श्री बनवारी लाल शर्मा ने अपनी बहस जारी रखते हुऐ कथन किया कि राजस्थान (भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण) अधिनियम, 1952 की धारा 21 के तहत जागीर पुनर्ग्रहण की अधिसूचना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किये जाने के साथ ही सभी प्रकार की जागीरों का पुनर्ग्रहण हो जाता है। राजस्थान में जितनी भी जागीरें थी उन सभी का पुनर्ग्रहण हो गया और इसमें सभी प्रकार की माफी की जागीरें भी शामिल थीं। उक्त अधिनियम की धारा 9 के तहत उक्त जागीर की भूमि में जो व्यक्ति कृषक थे उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये और उक्त अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत जो भूमि जागीरदार/माफीदार की खुदकाश्त में हो उनमें जो सम्पतियां खातेदारी की निजी सम्पतियां थीं, अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत उन्हें निजी सम्पत्ति मानते हुये उन सम्पतियों में जागीरदार के मालिकाना अधिकार यथावत

रखे गये। जिन भूमियों में जागीरदार/माफीदार को खातेदारी अधिकार या निजी सम्पत्ति होने के आधार पर मालिकाना अधिकार प्राप्त हो गये उनके अलावा शेष सम्पूर्ण जागीरों का धारा 22 के तहत पुनर्ग्रहण हो गया। ऐसी स्थिति में 1952 के उपरोक्त वर्णित अधिनियम के पश्चात् किसी भी प्रकार की कोई माफी, ''माफी'' के रूप में शेष ही नहीं रही। ''माफी'' अपने–आप में कोई अलंकरण नहीं है जिसे ''मन्दिर'' के पहले अलंकरण के रूप में लगाया जा सकता हो। उपरोक्त वर्णित स्पष्ट स्थिति के बावजूद भी उपरोक्त वर्णित भूमि को माफी मन्दिर की भूमि होना मानते हुये उसकी खातेदारी में दर्ज किये जाने हेतु यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। राजस्व भू–अभिलेखों में जो तथाकथित इन्द्राज परिवर्तन होना जाहिर किया गया है वह 50 वर्ष से भी अधिक समय से पूर्व किया गया, यद्यपि रेफरेन्स हेतु कोई समयावधि निर्धारित नहीं है परन्तु अत्यधिक विलंबित रेफरेन्स विशेषकर वे जिनमें राजस्थान राज्य सरकार को राजस्व भू–अभिलेखों में हो रहे इन्द्राजात की पूर्ण जानकारी थी, विलंबित रेफरेन्स स्वीकार ना किये जाने की स्पष्ट व्यवस्था माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई है। विद्वान् एकलपीठ ने बाध्य नियमों को पूर्णतः नजरन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (2014) 8 एस.सी.सी. 282 तथा 2004 आर.बी.जे.1 में, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 1996 1996 आर.आर.डी. 170, 2005 (3) डी.एन.जे. राज. 1270, 2006 (1) डी.एन.जे.राज. 142, 2014 (2) आर.आर.टी. 1005, 2017 (1) आर.आर.टी. 182, में यह स्पष्ट व्यवस्था दी है जो बाध्यकारी है।

उपरोक्त संदर्भ में राजस्थान राज्य सरकार तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान ने समय–समय पर परिपत्र जारी कर यह स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि जहां जागीर पुनर्ग्रहण के समय कोई भूमि माफी मन्दिर के नाम खुदकाश्त के रूप में दर्ज ना हो और कृषक का नाम कृषक के खाने में दर्ज हो वहां रेफरेन्स किये जाने का कोई आधार नहीं है। अप्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक श्री बनवारी लाल शर्मा ने बहस के अन्त में यह कथन किया कि राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प–2(4)/98/37 दिनांक 13–12–1991, राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 4–3(2)राज–6/2007/14 दिनांक 24–5–2007, राज्य सरकार (राजस्व ग्रुप–6) विभाग परिपत्र क्रमांक प03(2)राज–6/ 2007/19 दिनांक 25–11–2011, राज्य सरकार (राजस्व ग्रुप–6) विभाग परिपत्र क्रमांक प03 (2) राज–6/2007/पार्ट/5/जयपुर दि0 12–09–2018, राजस्व मण्डल परिपत्र क्रमांक राम–63/न्याय/स्था/05/636–689 दिनांक 06–01–2010 के पठन से यह संदेह के बाहर स्पष्ट होता है कि राजस्थान राज्य

सरकार व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के भी यही निर्देश रहे है कि ऐसे प्रकरणों में रेफरेन्स किये जाने का किसी भी प्रकार का कोई आधार नहीं है। अत रेफन्स प्रार्थना पत्र विशेष हर्जे व खर्चे सहित निरस्त फरमाया जावे।

हमनें उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी तहसीलदार, जयपुर के विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री प्रहलाद रावत द्वारा वरवक्त बहस कथन किया है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 2 (I) में स्पष्ट प्रावधान है कि खुदकाश्त् भूमि वह भूमि है जिसे व्यक्तिगत स्वयं के द्वारा खेती की गई हो, धारा 2 (K) तथा 2 (I) के साथ–साथ पढने से स्पष्ट है कि श्री रघुनाथ जी एक शाश्वत नाबालिग देव मूर्ति के धारण की गई कृषि भूमि खुदकाश्त् की कृषि भूमि है और इस अधिनियम के प्रभाव के आने के दिन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने वाले योग्य अधिकारिक व्यक्ति होते है; के संबंध में हमने धारा 2 (H), 2 (I) एवं 2 (K) का अवलोकन किया जोकि ज्यौं की त्यौं निम्न प्रकार है:–

Section 2(H) - jagir land means any land in which or in relation to wich a jagirdar has right in respect of land revenue or any other kind of revenue and includes any land held on any of the tenures specified in the first schedule."

Section 2(I)

(1) khudkasht means any land cultivated personally by a jagirdar and inclides.

(2) any land recored as khudkasht, sir, or hawala in a settlement records; and

(3) any land alloted to a jagairdar as khudkasht under Chaper IV];

or section 2(k) :-

(1) Land cultivated personally' with its gramatical variations and congnate expressions menas and cultivated on one's own account

(2) by one's own labour; or

(3) by the labour of any member of one's family; or

(4) by servants on wages payable in case or kind (but not by way of a share in crops) or by hired labour under one's personal supervision or the personal supervision of any member of one's family,

उक्त धाराओं के परिपेक्ष्य में निष्कर्ष रूप से यह तथ्य उजागर होते है कि माफी शामलात किशोर जी भोक्ता के रूप में तथा माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी उपभोक्ता के रूप में कॉलम संख्या 3 व 4 में दर्ज रहे है जो भू–राजस्व प्राप्त किये जाने हेतु अधिकृत थे और वादग्रस्त आराजी को उपभोक्ता माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी द्वारा न तो व्यक्तिगत रूप से काश्त की है और न ही वादग्रस्त आराजी भू–प्रबन्ध रिकार्ड में खुदकाश्त अंकित है, वादग्रस्त आराजी को स्वयं के द्वारा या स्वयं के श्रमिकों से भी काश्त कराया जाना जाहिर नहीं होता है। भू–प्रबन्ध से पूर्व का ऐसा कोई दस्तावेजी

साक्ष्य भी पत्रावली पर नहीं है जो यह जाहिर करता हो कि भू–प्रबन्ध से पूर्व वादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी की रही हो अतः विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री प्रहलाद रावत का यह कथन कि श्री रघुनाथ जी एक शाश्वत नाबालिग देव मूर्ति के धारण की गई कृषि भूमि खुदकाश्त् की कृषि भूमि है और इस अधिनियम के प्रभाव के आने के दिन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने वाले योग्य अधिकारिक व्यक्ति होते है, लागू नहीं होने से हम सहमत नहीं है। पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जो यह जाहिर करते हो कि भू–प्रबन्ध 2015–2024 से पूर्व वादग्रस्त आराजी कभी मन्दिर श्री रघुनाथ जी की खातेदारी में रही हो अथवा कभी इनका कब्जा काश्त रहा हो। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1) के तहत मंदिर मूर्ति अन्य व्यक्तियों के माध्यम से काश्त करा सकते है और ऐसे अन्य व्यक्तिओं को मंदिर मूर्ति की भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है, परन्तु यह प्रावधान दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ था, जबकि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 लागू होने के कारण खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2024 के कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में वादग्रस्त आराजी मंगला पुत्र दूल्हा जाति ब्राह्मण गौड सा0देह मु0 कदीम दर्ज होने से वादग्रस्त आराजी के निजी खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत समाप्त नही किये जा सकते है। खतौनी बंदोबस्त सम्वत् 2015–2024 के कॉलम संख्या 3 में माफी शामलात किशोर जी व कॉलम संख्या 4 में माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी पुजारी छोटीलाल नानूलाल पि0 गंगाबक्स जाति ब्राह्मण नाम अंकित है। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी जागीर भूमि थी। अब यह प्रश्न उठता है कि जिन जागीर भूमियों पर खुदकाश्त का अंकन था, ऐसी भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने पर इस अधिनियम की धारा 10 के अनुसार जो जागीरदार "खुदकाश्त" की भूमि धारण करता था, वह उन भूमियों के खातेदार हो गये है लेकिन चूंकि हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी की खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2024 के कॉलम नं0 5 नाम कृषक में मंगला पुत्र दूल्हा जाति ब्राह्मण गौड सा0 देह मु0 कदीम के नाम दर्ज है और तहसीलदार, जयपुर द्वारा सम्वत् 2015 से पूर्व का ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि वादग्रस्त आराजी माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी की खातेदारी में रही हो अथवा "खुदकाश्त" की दर्ज रही हो भू–प्रबन्ध 2015–2024 से पूर्व की नकल खसरा गिरदावरी जो अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है, में भी माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी का कहीं बतौर खातेदार या काबिज काश्तकार के रूप में इन्द्राज नहीं है, जो इन्द्राज है वे माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी से इतर है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त

आराजी जागीर अधिनियम लागू होने से पूर्व राजस्व अभिलेखों में माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी के नाम दर्ज नहीं थी और अन्य के द्वारा काश्त की जा रही थी/कृषक के नाम खातेदारी दर्ज थी। राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 अधिनियम की धारा 2(H) के अनुसार माफी भूमियों के लिए मंदिर मूर्ति की हैसियत जागीरदार की थी तथा धारा 21 एवं 22 अनुसार उक्त भूमियां भी पुनर्ग्रहण के बाद सरकार के स्वामित्व में आ गई। राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 अधिनियम मुख्य रूप से भूमि सुधार हेतु लागू किया गया था और काश्तकारों के अधिकारों के हित में इस अधिनियम में धारा 9 एवं धारा 10 का प्रावधान किया गया था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 13A, 15 में भी प्रावधान जोडा गया। अतः राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 अधिनियम की धारा 9 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के प्रावधान एक दूसरे के पूरक है जिसके तहत हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी के पूर्व राजस्व अभिलेख में दर्ज की काश्तकारी में रही है। चूंकि प्रश्नागत भूमि मंदिर माफी की ''खुदकाश्त'' नहीं थी, जो कोई काश्तकार जागीर भूमियों पर उक्त अधिनियम लागू होने के दिन बतौर खातेदार पट्टेदार या खडगमदार अथवा अन्य किसी नाम से दर्ज था, जिसे पैतृक अधिकार तथा हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त थे, तो ऐसे व्यक्ति खातेदार काश्तकार कहलायेगें। हस्तगत प्रकरण के राजस्व रिकार्ड खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2024 के कॉलम नं0 5 नाम कृषक में आ0ख0न0 156 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा, आ0ख0नं0 157 रकबा 16 बिस्वा, आ0ख0नं0 158 रकबा 18 बिस्वा, आ0ख0नं0 160 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, आ0ख0नं0 161 रकबा 03 बिस्वा, आ0ख0नं0 162 रकबा 04 बिस्वा, आ0ख0नं0 162/2161 रकबा 05 बिस्वा कुल किता 7 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा मंगला पुत्र दूल्हा जाति ब्राह्मण गौड सा0 देह मु0 कदीम दर्ज है तथा पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जो यह तथ्य पुष्ट करते हो कि सम्वत् 2015–2024 की खतौनी बन्दोबस्त के पश्चात् संधारित किये गये राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी के नाम बतौर खातेदारी दर्ज रही हो। भू–प्रबन्ध के पश्चात् कॉलम संख्या 5 में दर्ज इन्द्राज की निरन्तरता में ही आगे की जमाबंदियों में इन्द्राज किया जाना जाहिर है जो स्वतः ही यह स्थिति स्पष्ट करती है कि आ0ख0न0 156 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा, आ0ख0नं0 157 रकबा 16 बिस्वा, आ0ख0नं0 158 रकबा 18 बिस्वा, आ0ख0नं0 160 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, आ0ख0नं0 161 रकबा 03 बिस्वा, आ0ख0नं0 162 रकबा 04 बिस्वा, आ0ख0नं0 162/2161 रकबा 05 बिस्वा कुल किता 7 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा मंगला पुत्र दूल्हा जाति ब्राह्मण गौड सा0 देह राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 एवं राजस्थान काश्तकारी

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

अधिनियम, 1955 की धारा 15 के अनुसार खातेदार होने के फलस्वरूप इन्द्राज बदस्तूर दर्ज है। आ0ख0न0 156 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा, आ0ख0नं0 157 रकबा 16 बिस्वा, आ0ख0नं0 158 रकबा 18 बिस्वा, आ0ख0नं0 160 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, आ0ख0नं0 161 रकबा 03 बिस्वा, आ0ख0नं0 162 रकबा 04 बिस्वा, आ0ख0नं0 162/2161 रकबा 05 बिस्वा कुल किता 7 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा मंगला पुत्र दूल्हा जाति ब्राह्मण गौड सा0 देह के राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज होने के इन्द्राज को मंदिर के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा चुनौती नहीं दी गई है और मंदिर का भू-प्रबन्ध से पूर्व अथवा भू-प्रबन्ध के पश्चात् बतौर खातेदार इन्द्राज नहीं है। इस संदर्भ में राजस्व मण्डल की एकलपीठ ने भी भिन्न-भिन्न निर्णयों में यह व्यवस्था दी है कि जागीर का पुनर्ग्रहण होने के समय यदि कृषक का नाम था तो वहां रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर कृषक के नाम के इन्द्राज को निरस्त किया जाकर माफी मंदिर का नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित नहीं है। इस संदर्भ में राजस्थान सरकार एवं राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों को अप्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक ने वरवक्त बहस रेफरेन्स प्रकरणों में मार्गदृष्टा होने का कथन किया है। जिससे हम सहमत है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 में कलक्टर को अपनी राय के साथ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स किये जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसी स्थिति में राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र प0क्रः-3(2) राज-6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 को ज्यौं की त्यौं अंकित किया जाना समीचीन समझते है "1. राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 13.12.1991 की निरन्तरता में स्पष्ट किया जाता है कि मंदिर मूर्ति शाश्वत अवयस्क है। अतः इसकी खातेदारी भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते है। बलदेव बनाम मूर्ति मंदिर श्री कृष्ण जी महाराज आ.आर.डी. 1994 में निर्णित किया गया है कि मंदिर में पुजारी कौन होगा व उसके उत्तराधिकार के संबंध में विवाद दीवानी न्यायलयों द्वारा ही तय किया जा सकता है। मंदिर मूर्ति के खाते में पुजारी या सेवायत का नाम जमाबंदी में दर्ज नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका काफी दुरूपयोग होता है। राजस्व रिकार्ड में पुजारी अथवा सेवायत का नाम दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। मूर्ति के हितों की सुरक्षा तथा देवमूर्ति की भूमि के संबंध में अनावश्यक मुकदमें बाजी को रोकने के लिए परिपत्र दिनांक 13.12.1991 में निम्न निर्देश दिये गये थे :-

(1) भविष्य में जो जमाबन्दी राजस्व विभाग या बन्दोबस्त विभाग द्वारा बनाई जावे उनमें देवमूर्ति के साथ पुजारी या सेवायत का नाम नहीं लिखा जावे।

(ii) प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मंदिर के पुजारियों के संबंध में तहसील स्तर पर संलग्न प्रोफार्मो में अलग से रखा जावे जिसमें जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि है उनके पुजारियों के नाम का अंकन किया जावे।

(iii) जो जमाबंदी बन चुकी है। तथा वर्तमान में प्रभावशील है उनमें देवमूर्ति के साथ जहां भी पुजारी का नाम आया है वहां पुजारी का नाम विलोपित कर दिया जावे तथा उपर वर्णित रजिस्टर में लिखा जावे। इस बाबत स्पष्ट नोट जमाबंदी के रिमार्क के कॉलम में अंकित किया जावे।

2. जागीरों के अधिग्रहण के समय जो भूमि मन्दिर के नाम से अथवा जरिये पुजारी खुदकाश्त के रूप में दर्ज थी उस भूमि में किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। मन्दिर मूर्ति निरन्तर अवयस्क है वह किसी व्यक्ति के माध्यम से जैसे पुजारी, सेवादार, आदि के माध्यम से कार्य कर सकता है। इसके नाम से काश्त दर्ज होने पर काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे प्रकरणों में जिनमें मन्दिर के पुजारियों के नाम भूमि दर्ज है उनमें निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स की कार्यवाही की जावे।

3. मंदिरों को माफी की भूमि जागीर के रूप में दी गयी थी तथा राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम,1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुनर्ग्रहण के साथ-साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया जिसके अनुसार जो भूमि जागीरों के पुनर्ग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुये खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये है। विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के अनुसरण में ऐसी भूमियों को वापिस मन्दिर के नाम दर्ज किया जा रहा है, उचित नहीं है।

4. ऐसी भूमि के सम्बंध में जो मन्दिर माफी की थी के सम्बंध में राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 में प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में पट्टेदार, खादिमदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थे वे निरन्तर खातेदार बने रहेंगे। धारा 9 निम्न प्रकार है-

"जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार- जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अन्तर्हित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है, दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह ऐसी भूमि के संबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा।

5. जागीरों के अधिग्रहण के समय मन्दिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि नाम से दर्ज थी उनमें उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त है। ऐसी भूमियों को पुनः मन्दिरों के नाम दर्ज किया जाना विधि–सम्मत नहीं है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा।

6. वर्तमान में इस विषय में क्रम संख्या 5 पर अंकित प्रकरणों में जहां विभिन्न राजस्व न्यायालयों में जो प्रकरण लंबित है तथा राजस्व बोर्ड के समक्ष जो संदर्भ (reference) लंबित है। उन प्रकरणों में संबंधित अधिकृत अधिकारी उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप विधिक स्थिति से अवगत कराते हुए उन प्रकरणों/संदर्भों को निस्तारण करायेंगे।''

निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के पत्रांक राम/प–63/न्याय/स्था/05/636–689 दिनांक 06.01.2010 द्वारा समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त जिला कलक्टर, समस्त राजस्व अपील अधिकारी को लिखा गया है कि मन्दिर माफी की भूमि में खातेदारी अधिकारों के संबंध में परिपत्र दिनांक 24.05.2007 द्वारा अंतिम तौर पर यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी कि जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि के नाम दर्ज थी उनमे उन खातेदारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरित अधिकार प्राप्त होंगे, ऐसी भूमियों के पुनः मंदिर के नाम दर्ज कराया जाना विधि–सम्मत नहीं है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तरण खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा। अतः विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का विभिन्न स्तरों पर त्रुटिवश संदर्भ हेतु लम्बित प्रकरणों का निस्तारण तद्नुसार ही कराया जाना सुनिश्चित करावें।

राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प03 (2)राज–6/07/19 दिनांक 25.11.2011 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भू–प्रबन्ध अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों ने मूर्ति मंदिर की खातेदारी भूमि में साथ लिखे पुजारी/सेवायतों के नाम हटाने के साथ–साथ उन कृषकों के खातेदारी अंकनों को भी विलोपित कर दिया जिनको राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत वैध रूप से खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हुए थे। यह कार्यवाही कानूनी रूप से गलत तथा पत्र दिनांक 13.12.1991 की मंशा के विरूद्ध की गई कार्यवाही थी। इस प्रकार परिपत्र दिनांक 24.05.2007, पत्र दिनांक 06.01.2010 और परिपत्र दिनांक 25.11.2011 में दिऐ गऐ दिशा–निर्देशों के विपरीत वादग्रस्त आराजी को मंदिर श्री रघुनाथ जी के नाम लगाने हेतु तहसीलदार, जयपुर द्वारा प्रस्तुत किये गये रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र को रेफरेन्स किये जाने की राय से माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाये जाने योग्य नहीं पाते है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के

निर्णय दिनांक 15.07.2015 के परिपेक्ष्य में विद्वान् राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी राज्य सरकार में निहित होनी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त हस्तान्तरण एवं विरासत अन्तरणों को निरस्त कर भूमि को पुनः माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी में निहित किया जाना नितान्त आवश्यक है, विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री प्रहलाद रावत के कथन से हम सहमत नहीं है क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पैरा 48 में किया प्रश्न सं0 1 व इसका उत्तर अपने आप में ऐसे प्रकरणों की स्पष्टतः स्थिति स्पष्ट करता है। निर्णय दिनांक 15.07.2015 में पारित पैरा 48 का प्रश्न 1 व उत्तर ज्यौं की त्यौं निम्नानुसार हैः—

" In order to summarize the answer, the question framed by the court and our decision on the question are stated as below :-

"Question No. (1) Whether the land in jagir, by Hindu Idol (deity) as Dolidar of Muafidar Cultivated by a person other than shebait/pujari of the deity or by hired labour or servents engaged by its shebait/pujari as a tenant of the deity, such idol being treated as a perpetual minor, will still be regarded as land held in the personal cultivation of the deity or will such land be regarded as held in the tenancy by the person cultivating such land as tenant of a deity ?

Answer:- The Question no. (1) is decided in favour of the state and against the shebait/pujari claiming the land to be saved by the Jagirs Act. 1952. The land held in jagir by hindu idol (deity) as dolidar or mafidar cultivated by a person other then the shebait/pujari of the deity personally or by hired labour or servants engaged by its shebait/pujari as a tenant of the deity, shall vest in the state, after the jagirs act 1952. The Hindu idol (deity), even if it is treated to be a perpetual minor, could not continue to hold such land. Such land cannot be treated to be in its personal cultivation. A tenant of such land cultivating the land acquired the rights of khatedar of the state. Such land under the tenancy of person other then shebait/pujari of hindu idol (deity) become khatedari land of such tenant. the name of hindu idol (deity) from such land had to expunged from the revenue records with shebait/ pujari having no right to claim the land as khatedar. Consequently, they had no right to transfer such lands, and all such transfers have to be treate as null and void, in contravention of the Jagirs Act, 1952 and the land under such transfers to resumed by the state.

विचारण प्रकरण में सेवायत/पुजारी के नाम आराजी को दर्ज किये जाने का विवाद नहीं है बल्कि सम्वत् 2015—2024 से पूर्व ही अन्य व्यक्ति द्वारा काबिज/काश्त किये जाने के कारण एवं माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी की खातेदारी में न होकर जमाबन्दी सम्वत् 2015—2024 के कालम सं0 5 नाम कृषक में आ0ख0नं0 156 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा, आ0ख0नं0 157 रकबा 16 बिस्वा, आ0ख0नं0 158 रकबा 18 बिस्वा,

आ0ख0नं0 160 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, आ0ख0नं0 161 रकबा 03 बिस्वा, आ0ख0नं0 162 रकबा 04 बिस्वा, आ0ख0नं0 162/2161 रकबा 05 बिस्वा कुल किता 7 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा मंगला पुत्र दूल्हा जाति ब्राह्मण गौड सा0 देह मु0 कदीम दर्ज रही है और इनके नाम निरन्तर जमाबंदी में बदस्तूर रहेंगे, माफी रिज्यूम होने पर नाम भोक्ता कॉलम संख्या 3 व नाम उपभोक्ता कॉलम संख्या 4 में बतौर मालिक सरकार का इन्द्राज है जिसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि तहसीलदार, जयपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र मे ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये हैं, जो मार्गदर्शन दिनांक 24.05.2007, दिनांक 06.01.2010 व दिनांक 25.11.2011 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2015 के परिपेक्ष्य मे रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हो। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय अर्थात सम्वत् 2012 का ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जो यह जाहिर करता हो कि सम्वत् 2012 में वादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी की खुदकाश्त दर्ज रही हो। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व अर्थात जागीर रिजम्पशन के समय काश्त करने संबंधी प्रमाण स्वरूप सम्वत् 2010 से 2011 की खसरा गिरदावरियों में भी माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी का इन्द्राज नहीं है जबकि जयपुर स्टेट की तत्समय खसरा गिरदावरी को प्रमाणित रिकार्ड माना गया है। विचारण प्रकरण के परिपेक्ष्य में हमारे द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की एकल पीठ द्वारा प्रकरण संख्या 4345/2011 उनवानी सरकार बनाम नारायण में दिनांक 19.03.2015 को निर्णय पारित कर रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र को खारिज किया गया है जो आर.आर.डी. 14.07.2015 पेज 370–376 पर मुद्रित है, का ध्यानपूर्वक मनन किया गया तो हमारे द्वारा पाया गया कि विचारण प्रकरण एवं न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी 14.07.2015 के तथ्य समान है इसी प्रकार स्पेशल अपील/एल.आर/8948/2012/जयपुर उनवानी रामनिवास वगैराह बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 13.10.2020 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की खण्डपीठ द्वारा राजस्व मण्डल की माननीय एकलपीठ द्वारा रेफरेन्स प्रकरण संख्या 3833/2007 बउनवानी सरकार बनाम रामनिवास में पारित निर्णय दिनांक 07.09.2012 को निरस्त किया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये रेफरेन्स को खारिज किया गया है, इस न्यायिक दृष्टांत के तथ्य एवं विचारण प्रकरण के तथ्य समान है और विचारण प्रकरण पर उक्त दोनों न्यायिक दृष्टांत पूर्णतः चस्पा होते है। 2019(1) आर0आर0टी0 250 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रामलाल में निर्णय दिनांक 07.08.2018 द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि एकीकरण सम्वत् 2019 में वादग्रस्त आराजी कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता के कॉलम में माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी

सीताराम जी बहतमाम पुजारी श्री नारायण पुत्र भौरीलाल जाती स्वामी सा0 देह माफी उपरोक्त अंकित है तथा कॉलम संख्या 5 नाम कृषक के कॉलम में खांगा वगैराह का नाम अंकित है और खतौनी बंदोबस्त सम्वत् 2015–2034 में भी उपरोक्तानुसार ही अंकन किया हुआ है, राजस्व अभिलेख की उक्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि मन्दिर मूर्ति श्री सीताराम जी वादग्रस्त भूमि के माफीदार थे तथा खांगा वगैराह काश्तकार दर्ज रहे हैं। भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 प्रभाव में आने पर इसके प्रावधानों के अनुसार माफीदार जागीरदार की जागीर अधिग्रहित हो गई एवं उसके स्थान पर राज्य सरकार आ गई तथा काबिज काश्तकार स्वतः खातेदार हो गये। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2021 में मंदिर मूर्ति की जागीर अधिग्रहित हो जाने से काबिज काश्तकार के खातेदार बन जाने से अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारियों के खातेदारी में दर्ज की गई है जो विधि अनुरूप ही है। राज्य सरकार ने भी वर्ष 2007 एवं 2010 में परिपत्र जारी कर माफीदार जागीरदार की ऐसी भूमियों पर काबिज काश्तकार को खातेदार दर्ज किया जाना उचित मानते हुए उसे यथावत रखे जाने का निर्देश दिया है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारियों एवं बाद में विरासत के आधार पर वर्तमान अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज की गई है जो विधि अनुरूप होने से हम इस रेफरेन्स में कोई सार नहीं पाते है एवं रेफरेन्स खारिज करना न्यायोचित समझते है, अतः रेफरेन्स खारिज किया जाता है।

अतः उक्त विवेचनानुसार तहसीलदार, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाते है। मिसल बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2024 के कॉलम संख्या 5 के अनुसार दर्ज इन्द्राजों की निरन्तरता में किये गये इन्द्राज व इसके पश्चात के नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप निजी खातेदारी राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, जिनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्याय–संगत नहीं पाते हैं। अतः तहसीलदार, जयपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चारण)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर